किताब

वफात की इद्दत और सोगवारी कुरआन और हदीस की रोशनी में

नाशिर :
तन्जीमे इशाअते इस्लामी तालीम
66, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, बोहरावाडी, उदयपुर (राज.)
फोन : 0294-2411883 (नि.), 2527526 (दु.)

अज़ ग़मज़दा अहमद अली राज
उदयपुर

25-7-2004 ई. 8-6-1425 हि.

A to Z Massage Conveyor 2432637

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة ٢٣٤)
2:34

(और वो लोग जो तुम्हारे में से वफात पाए और वो बीवियाँ छोड़ जाए तो ये बीवियाँ अपने आपको रोके रखे 4 महीना और 10 रात। अब जब वो अपनी मुद्दत तमाम कर चुके तो तुम पर कोई हर्ज नहीं के वो अपने मुताल्लिक शरीयत के मुताबिक चाहे वो करे। और अल्लाह तुम्हारे अमल से खबरदार है।

किताब

वफात की इद्दत और सोगवारी कुरआन और हदीस की रोशनी में

नाशिर :
तन्जीमे इशाअते इस्लामी तालीम
66, डॉ. ज़ाकिर हुसैन मार्ग, बोहरावाड़ी, उदयपुर (राज.)
फोन : 0294–2411883 (नि.), 2527526 (दु.)

अज़ गमज़दा अहमद अली राज
उदयपुर

25–7–2004 ई. 8–6–1425 हि.

786 / 92–110

वफात की इद्दत और सोगवारी कुरआन और हदीस की रोशनी में

अल्लाह सुब्हानहु का कौल है कि मा आता कुमुर्रसूलो फ खुजुहो व मा नहाकुम अनहो फनतहू। (रसूल तुमको जो चीज़ दे वो लो और जिस चीज से रोके उससे रुको।) और ये भी कहा के हमने कुरआन उतारा है इसलिए के आप इसकी तबईन (वजाहत) करो। कुरआन में अहकाम मुजमल (तफसीर तलब) आये हैं। रसूले खुदा ने बहुक्मे खुदा उनकी तफसील की। आपकी तफसील करदा अहकाम को हदीस कहते हैं। कुरआन को हदीस की रोशनी में समझना बहुत ज़रूरी है। लिहाज़ा वफात की इद्दत और सोगवारी के अहकाम कुरआन की रोशनी के साथ हदीस की रोशनी में समझना बिल्कुल ज़रूरी है। वफात की इद्दत के मुताल्लिक कुरआन में सिर्फ इतना ही आया है कि ये बेवा औरतें 4 महिना और 10 दिन तरब्बुस करे। यानि अपने आप को रोके रखे, इंतज़ार करे। (सूरए बकरा आयत नं. 234) किस–किस बात से रोके वो कुरआन में नहीं है। रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इसकी वजाहत की कि इस बेवा औरत पर 4 महीना और 10 दिन में सोगवारी फर्ज़ है। यानि कंगन, मेहंदी, सुरमा और हर किस्म की ज़ेबो ज़ीनत, मनोरंजन, श्रृंगार से रुके। घर में ही रहे। बाहर न निकले। रंगीन कपड़े नहीं पहने। स्याह (काला) कपड़े पहन सकती है जिस घर में बैठी हो उसी घर में रात गुज़ारे। निकाह तो क्या मंगनी भी हराम है, बहुत ही सख्त ज़रूरत हो तो आधी रात के बाद सुबह सादिक से पहले घर से निकले और दूसरी रात को मगरिब बाद उसी घर में वापस आ जाए और वहीं रात गुज़ारे मतलब के रात उसी घर में गुज़ारे और दिन में बाहर न निकले। हज कर सकती है। इद्दत में यूं सोगवारी सभी किस्म की शादीशुदा (कम उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक की सभी) औरत पर वाजिब है। जिसका जिफाफ (मिलन) हुआ हो या न हुआ हो। छोटी हो या बड़ी हो, हैज़ (माहवारी) वाली हो या न हो। सिर्फ हमल या शादी का ही सवाल नहीं है। सभी को घर में ही रहना वाजिब है। हामिला (प्रेगनेन्ट) हो और इस मुद्दत के अन्दर बच्चा जने तो ये इद्दत वाली मुद्दत पूरी करे। अगर इस मुद्दत के तमाम होने तक बच्चे का जन्म न हुआ हो तो जन्म होने तक इद्दत बैठे। ये है वो एहकाम जिनकी तफसील नबी–ए–करीम (स.अ.व.) ने फरमाई। जिन पर अमल करना हर मुस्लिमा पर वाजिब है। अब इन अहकाम को छोड़कर हदीसे नबवी से असगर अली इंजीनियर का अपने परचे में ये लिखना गलत है कि सिर्फ 4 महीना और 10 दिन तक शादी से अल्लाह ने मना किया है, और इसके सिवा कुछ नहीं। हां! कुरआन में भी शादी से रुकने का कहाँ लिखा है। ये भी तो नबी–ए–करीम (स.अ.व.) ने ही फरमाया है। फिर आपके इस फरमान को ही मानना और बाकी सब अहकाम को नहीं मानना कौन

सी मुसलमानी है। असगर अली ने अपने परचा में दाढ़ी, टोपी और रिदा की भी मुखालिफत की है। हालांकि ये तो शरई कौमी तहज़ीब है। इसकी मुखालिफत करना सुधार करना नहीं है। इन्तिहाई अफसोसनाक बात है कि बहन ज़ैनब आर.वी., डॉ. जुलेखा अत्तारी और उनकी दो–चार सहेलियाँ दुखी गमगीन बेवा बहनों के पास जाकर उनको कहा कि फकत 40 दिन ही घर में रहकर बाहर निकलो, service करो, घूमो फिरो। (ज़ैनब बहन ने तो 3 दिन का भी कहा है!) ये 4 महीना और 10 दिन की इद्दत इस ज़माने में नहीं चल सकती।

उन्होंने ऐसा कहकर कुरआन और हदीस की, अल्लाह और रसूलुल्लाह (स.अ.व.) की खुल्लम–खुल्ला मुखालिफत की है। और कुरआन में जगह–जगह आया है कि अल्लाह और रसूल (स.अ.व.) की मुखालिफत करने वाला जहन्नुमी है। इसकी खबर मिलते ही मैने आवाज़ उठायी। परचे और किताब की इशाअत की। जवाब में डॉ. जुलेखा अत्तारी ने जमाअत ऑफिस के ज़रिये एक खत भेजा और इस खत का जवाब जमाअत ऑफिस के ज़रिये ही तलब किया। मैने अपने परचे में लिखा था कि ये बहने मेरा नाम लेकर बहका रही है, वो झूठ है। डॉ. जुलेखा ने अपने खत में इसका इन्कार किया तो मैने लिखा कि मरहूम मन्सूर अली कुतुब अली वाले के यहाँ आपने ऐसा कहा है तो अफशा बहिन ने आपको कहा कि ऐसा है तो उनसे (अहमद अली) से लिखवा के लाओ और इस लिखान को आम पब्लिक में पढ़ कर सुनाओ। डॉ. जुलेखा ने अपने खत में लिखा कि मरहूम अकबर अली टेलर के यहाँ 8–10 बहने हमारे हम–ख्याल थी। वो पूछती है क्या शेख अहमद अली हमें इसकी इजाज़त देंगे, तब हमने कहा के ये औरतों का मसला है, और हम औरतों को ही इस पर गौर करना होगा और हल निकालना होगा। फिर डॉ. साहिबा लिखती है कि आप क्यों खामोश है, हकीकत क्यों नहीं बताते, वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है और हमने इद्दत मे ये दखलअदाज़ी चाही तो क्या गलत है। आपसे गुज़ारिश है कि मौके की नज़ाकत देखते हुए अपना फतवा दे। मैने अपने खत में जवाब दिया कि 8–10 हज़ार औरतें भी आपके हम–ख्याल हो तो क्या फर्क पड़ता है। कुरआन और हदीस का फरमान अटल है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। जब औरतों को ही इस पर गौर करना है और हल निकालना है तो फिर मुझसे फतवा तलब करने का क्या मतलब। ये खत लिखने की ज़ेहमत क्यों फरमाई। आप नहीं जानती कि मैं खामोश नहीं हूँ। बार–बार इद्दत के मुताबिक सही हकीकत बताता रहता हूँ! एक किताब आपको भी भेज रहा हूँ! न आपको कोई हक है न मुझको न और किसी को कि शरए–मोहम्मदी में दखलअंदाज़ी करे। शरए–मोहम्मदी में दखलअदाज़ी करने वाला बेशक जहन्नुमी है। मलऊन है। ये बात मैने अपनी तरफ से नहीं लिखी है बल्कि कुरआन के मुताबिक लिखी है। ये गाली–गलौज नहीं बल्कि हकीकत है। मैने अपनी किताब में इद्दत के सही अहकाम लिखने के साथ ये भी लिखा है कि दौराने इद्दत गैर मेहरम मर्द तो इद्दत वाली के सामने नहीं जा सकता। बहरहाल परदा वैसे भी लाज़िम

है। औरत इद्दत में हो य न हो मगर अनसमझ छोटा बच्चा उसके पास चला जाए तो इद्दत नहीं टूटती। दीगर आसमान नहीं देखना, बवक्ते ज़रूरत आईना नहीं देखना, घर में एक कोने में ही बैठे रहना या घरेलु कामकाज या कोई भी हुनर नहीं करना, हामिला औरत को भी जाने से रोकना, घर के बिछौना–परदे वगैरह सफेद ही होना, सख्त ज़रूरत के वक्त परदे के पीछे से बात नहीं करना, मौत के बाद बेवा औरत अपने मरहूम शौहर का मुँह नहीं देख सकती ऐसा कहना ये सब बातें गैर शरई है, गलत है। इद्दत में सोगवारी का हुक्म है लिहाज़ा रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के फरमान के मुताबिक हर किस्म की ज़ेबो–ज़ीनत मनोरंजन से परहेज़ करे। T.V. मनोरंजन की एक मशीन है लिहाज़ा इससे परहेज़ करना ज़रूरी है।

नोट– सादिक इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया के हम हमारे नाना नबी सल्लल्लाहो अलयहे वालेही की शरीयत में ज़र्रा बराबर फर्क नहीं कर सकते। जब सादिक इमाम (अ.स.) का ये कौल है तो हम और आप लोग शरीयत में दखलअंदाज़ी करने की क्या हैसियत रखते हैं।

786 / 92–110

इद्दत की ज़रूरत और अहमियत

बेवा औरत की इद्दत की मुखालिफत में बोहरा यूथ के जनरल सेक्रेटर असगर अली इंजीनियर साहब का आम परचा और बोहरा क्रोनिकल में मज़मून छाए हुए थे। उदयपुर में मोहतरमा बहन ज़ैनब R.V. ने भी औरतों की आम Meeting बुलाई थी, इसमें वफात के खिलाफ प्रचार किया था। मैने उसके खिलाफ आवाज़ उठायी थी और मोहतरम भाई सालेह मोहम्मद नायब ने एक मज़मून लिखा था वो मज़मून आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आप लिखते हैं कि बोहरा क्रोनिकल में गुजिश्ता कई शुमारो में इद्दत के मसले की हिमायत और मुखालिफत में मज़ामीन और कारिईन के खयालात शाए किये जा रहे हैं। इनमें इखतिलाफ और एतराज़ इस बात पर है कि इद्दत वाली बहन को घर में ही रहने की पाबदी क्यों है ? वो चाहते है कि उसे भी मर्दो की तरह बाहर जाने और अपना कारोबार करने या दफ्तर में मुलाज़िमत के फराइज़ अदा करने की आज़ादी हासिल होनी चाहिए।

ये लोग अपनी बात को तरक्की पसंदी और औरतों के हुकूक को और मुसावात का मुतालबा लेकर सामने आए हैं। ये लोग इस बात को भूल गए कि इस्लाम खुद एक तरक्की पसंद और इन्किलाबी मज़हब है। इसके ज़रिए दौरे जाहिलियत के तमाम ऐहकाम और अंधविश्वास का खातमा किया गया है। मसलन आज के ज़माने में औरतों को अपने वालिदेन की ज़मीन–जायदाद और दीगर मिलकियत में से विरासत पाने की जिस मांग को तरक्की पसंदी कहा जाता है, इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले औरतों को ये हक दिलवा दिया।

आज बेवा औरतों को शादी करने और सुहागन औरतों के साथ अच्छा सुलूक न करने पर और दोनों में निबाह होना नामुमकिन हो जाने पर तलाक का कानून पास करने की माँग को तरक्की पसंदी माना जाता है। इस्लाम में ये कानून 1400 साल पहले ही बना कर राइज़ कर दिया।

इस तरह औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक देने में भी इस्लाम सभी मज़हबों से आगे रहा है। इस्लाम ने मर्द और औरत यानि मियाँ–बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है। किसी बीवी को सताने या उस पर ज़ुल्म करने से मर्दों पर रोक लगाई है। लिहाज़ा इस्लाम के अहकामात और कवानीन (कानून) को "गंवार और अनपढ़ लोगों के लिए काबिले अमन और काबिले तकलीद कहना" हद दरजा गैर ज़िम्मेदारी की बात है।

मोहतरमा अनुपमा बहन का इद्दत को ऐसा ही अम्र मानने की बात कहना हद दरजा काबिले एतराज है। याद रहे इस्लाम दुनिया में लोगों को गंवार और अनपढ़ रखने के लिए नहीं आया है। ये तो "तलबुल इल्मे फरिज़तुन अला कुल्ले मुस्लेमिन व मुस्लेमतिन" (इल्म का तलब फर्ज़ है। हर मुस्लिम मर्द और हर मुस्लिमा औरत पर) का पैगाम लेकर आया है। लिहाज़ा इद्दत की ज़रूरत व अहमियत को समझे बगैर इसकी मुखालिफत करना और इसे दकियानूसी अमल बतलाना खुद अपनी लाइल्मी और जहालत का इज़हार करना है। अब उन्हें कौन बतलाए के आप अल्लाह और उसके रसूल सलल्लाहो अलयहि वआलिहि से ज़्यादा समझदार और औरतों के हामी हरगिज़ नहीं।

1. इस्लाम ने अनुपमा बहन के हिन्दु मज़हब की तरह बीवी को अपने शौहर के साथ सती होने या ज़िन्दा कब्र में दफन करने का हुक्म कभी नहीं दिया।

2. जब औरत को अपने मर्द की मौत के बाद जिन्दा रहने और दूसरी शादी करने की इजाज़त दी गई तो सवाल उठता है कि वो दूसरे शख्स से कब शादी कर सकती है। मर्द की मौत के दो–चार दिन बाद या दो–चार महीने बाद या दो–चार साल के बाद? अल्लाह तआला और उसके रसूले–करीम सलल्लाहो व अलयहि वस्सलम ने चार महीने और दस दिन के बाद ये इजाज़त दे दी कि एक बेवा औरत दूसरे मर्द से निकाह कर सकती है। इस्लाम ने बेवा औरत को दूसरे मर्द से निकाह करके सुहागन बनने से नहीं रोका। चार महीना और दस दिन कई एतबार से मुनासिब है।

   1. मसलन् इससे हामिला होने या नहीं होने का पता चल जाता है।
   2. अपने मरहूम रफीके हयात का सदमा रफ्ता–रफ्ता दिलों दिमाग से कम करने का मौका मिल जाता है।
   3. कोई गैर ज़िम्मेदार और बे हया औरत ही मौत के दो–चार दिन के बाद किसी

दूसरे शख्स से निकाह करने की बात सोच सकती है। अपने रफीके हयात को भुलाना आसान नहीं है।

4. इस अरसे में उसे अपनी आइंदा ज़िंदगी गुजारने का, मनसूबा बनाने का अच्छा मौका मिल जाता है। वो अच्छी तरह सोच सकती है कि ज़िंदगी भर बेवा रहे या किसी और शख्स की बीवी बन जाए।

5. इस अरसे में उसे अपने सुसराल वालों से अपने मरहूम खाविंद की जायज़ विरासत अपने और अपने औलाद के लिए हासिल करने का मौका भी मिल जाता है।

6. अल्लाह के फरमान मुताबिक एक बरस तक सुसराल वालों से अपने खाने–पीने और कपड़े वगैरह का खर्चा भी हासिल करने के लिए बातचीत करने का मौका मिल जाता है।

Note – भाई सालेह मोहम्मद नायब ने ये कलम सूरतुल बकरा की 240 वीं आयत के मुताबिक लिखी है। याद रहे कि ये आयत मन्सूख हो गई। वाजिबुल अमल न रही।

आगे चलकर नायब साहब लिखते हैं कि अपनी यतीम औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र भला कौन माँ नहीं करना चाहेगी। क्या इसके मर्द के मरते ही आनन–फानन में ये मसला तय हो सकता है ? हरगिज़ नहीं! 4–6 महीने तो लग ही जाते हैं। इन सब उमूर को ज़हननशी करने पर ये बात रोज़े–रोशन की तरह अयां हो जाती है कि एक बेवा औरत के लिए इद्दत पालने और इसकी मुद्दत तक घर में ही रहने में उसकी भलाई है। अनुपमा बहन को गरीब औरतों के लिए इद्दत पालना मुमकिन नज़र नहीं आता। ये बात सही नहीं है गरीबी तो अपने आप में एक मुसीबत है। गरीबी तो सुहागन औरतों के लिए भी मुसीबत का बाइस होती है। इद्दत वाली गरीब बहनों की मदद तो हर कोई करने को तैयार रहता है। खुद इस्लाम ने उनकी मदद करने पर ज़ोर दिया है। ज़कात और फितरा की रकम में से बेवा औरतों की मदद करने का हुक्म दिया गया है। फिर औरतों को उनके वालिदेन और शौहर की मिलकियत में से भी मुकर्ररशुदा हिस्सा बतौर विरासत देने का हुक्म दिया है। इसका फायदा इद्दत वाली बहन को भी होता है। इस तरह महर की रकम पाने का भी उसे हक दिया गया है। हाँ उसे या उसके वालिदेन को शादी के वक्त जहेज़ (दहेज) देने का हुक्म नहीं दिया गया है। जो आजकल हिन्दु समाज में कहर व गज़ब ढा रहा है।

औरतों को इद्दत नहीं पालने की बात वो लोग कर रहे हैं जो औरतों की नफसीयात (Psychology) से वाकिफ नहीं है। इसी तरह औरतों के मसाइल से आगाह नहीं है। कोई भी औरत अपने मर्द की मौत वाकै होते ही किसी और शख्स से निकाह करने की बात सोच

ही नहीं सकती। कई कई दिनों तक तो वो सरापा रंजो गम में डूबी रहती है। अगर उसके पास कमसिन बच्चे हो तो उसका रंजो गम और भी गहरा हो जाता है। ऐसी औरते मअमूल पर आने के लिए लम्बा अरसा ले लेती है। लिहाज़ा एक बेवा औरत के लिए 4 महीना और 10 दिन तक अपने घर में ही गुज़ारना नामुमकिन नहीं है। आज भी बेशतर औरते आम दिनों में भी घर में ही रहकर अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही है। जहाँ तक इद्दत में तकलीफ बरदाश्त करने का सवाल है तो औरतों को अपनी ज़िंदगी में कई बार मुखतलिफ औकात (वक्त) में तकलीफ बरदाश्त करनी पड़ती है। मसलन् हैज़ के अय्याम में, हमल के दौरान, बच्चा पैदा होने के दौरान। क्या इन दिनों में उन्हें तकलीफ बरदाश्त नहीं करनी पड़ती ?

क्या हमारी शहरी और पढ़ी–लिखी बहने इन तकलीफों से निजात हासिल करा सकती है ? कई बार लम्बी बीमारी का शिकार होने पर न सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी बिस्तर पकड़ना पड़ता है। मजबूरी में इसे बर्दाश्त करना ही पड़ता है। फिर तकलीफ किसमें नहीं है। क्या कड़ाके की सर्दी में ठण्डे पानी से वुज़ू करने में तकलीफ नहीं होती ? क्या रोज़ों में भूख–प्यास की तकलीफ नहीं होती ? क्या हज करने और जिहाद करने में तकलीफें नहीं होती ? तो क्या इस्लाम मज़हब छोड़कर हिन्दु या ईसाई हो जाए ? सच पूछो तो सारी दुनयवी ज़िंदगी ही तकलीफ और मुसीबत का सबब है। इस मुसीबत को बरदाश्त करना ही पड़ता है। लिहाज़ा इद्दत की मुखालिफत महज़ तकलीफ और गरीबी के सबब करना ठीक नहीं है। ये इद्दत अल्लाह और रसूले करीम सलल्लाह अलयहि वआलिहि का फरमान है। हर मुसलमान पर इसकी पाबंदी वाजिब और लाज़मी है। हाँ इद्दत में कुछ ऐसी पाबंदिया शामिल हो गई है जिनका हुक्म अल्लाह और रसूले करीम (स.अ.व.) ने नहीं दिया है। उसे खत्म करना चाहिए। इसकी वज़ाहत जनाब शेख अहमद अली साहब ने क्रोनिकल में कर दी है। उसे मुलाहिज़ा करे। कुरआन और दआइमुल इस्लाम के मुताबिक इद्दत पालने में कोई खास मुसीबत या तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। इस दौरान घर के सब लोग इद्दत वाली बहन की दिलोजान से खिदमत करते हैं। और किसी तरह की तकलीफ होने नहीं देते।

–सालेह मोहम्मद नायब

नोट–[1]अनुपमा बहन का गंवार वाला मज़मून बोहरा क्रोनिकल में छपा था। क्रोनिकल ने उसकी तारीफ की थी। फिर इस मज़मून के बाद मुम्बई में एक औरत इद्दत नहीं बैठी। क्रोनिकल ने उस औरत की तारीफ की। शाबाशी दी लिहाज़ा इस मज़मून की जिम्मेदार क्रोनिकल और सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्यूनीटी है। [2] जब भी मैं किसी की रिआयत बगैर सही बात बताता हूं तो कहा जाता है ते

ऊपर जो कुछ लिखा है वो तो डॉ. जुलैखा अत्तारी के खत का मुख्तसिर जवाब है, इसे लिखते–लिखते एक खत और डॉ. ज़ैनब आर.वी. का मिला जिसमें मेरी एक किताब का पेज है जिसमें इद्दत के दौरान लोगों की आम आदत के मुताबिक ऐसी बातें चालु हो गई है जिसका शरीयत से कोई वास्ता नहीं। मसलन् आसमान नहीं देखना, नासमझ छोटे बच्चों का कमरे में आ जाना, आईने में देखना, ज़रूरत पड़ने पर पर्दे में से बात करना, सफेद पर्दो का होना वगैरह। इन तहरीर को अन्डर लाइन करके डॉ. आर.वी लिखती है कि "आपने इद्दत वाली औरतों को वो राहत बख्शी है जिसका लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। उम्मीदकर्वी है के मुस्तकबिल में भी औरतों के मामले में आपकी नज़रे इनायत जारी रहेगी।"

इस खत का जवाब हाज़िर है–

1. शरई मसाइल के बताने में नज़रे इनायत का कोई सवाल ही नहीं है। वह तो अैन फर्ज़ है। शरई मसाहल को नज़रे इनायत बताना ग़लत है। आपके कहने का मतलब ये है कि शरीयत में मैं आपके लिए नजरे इनायत करके मनमाफिक फतवा दे दूँ। हरगिज़ नहीं। मुझे क्या हक है कि मैं शरीयत में नज़रे इनायत करूँ, मनमानी करूँ। मैने जो कुछ भी लिखा है अपनी तरफ से नहीं लिखा, अैन किताबुल्लाह और हदीसे नबवी के मुताबिक लिखा है।

2. लगभग बीस साल पहले कुरान की इस्माईली तफसीर में इद्दत के मसाइल तफसील से लिखे थे, निकाह व तलाक और विरासत के अहकाम उर्दू और हिन्दी ज़बान में शाए किए। (जिसका एक पेज अन्डर लाइन करके बहन ज़ैनब ने अपने खत में लिखा है।)

3. जब असगर अली इन्जिनियर ने इद्दत के खिलाफ आवाज उठाई और बहन जैनब ने इसमें सूर फूंका (बिगुल बजाया) तब मैने इद्दत की हिमायत में सैंकड़ों की तादाद में पेम्फलेट और 'वफात की इद्दत और सोगवारी' नामी किताब शाए की। जिसको अभी–अभी दुबारा इशाअत की। और उस वक्त ऐलाने आम किया कि मैं इस फितनत के खिलाफ हूँ। जिसके जवाब में दाऊदी बोहरा जमाअत ऑफिस के नेताओं ने मेरी सख्त मुखालिफत की और मुझे बंद कर देने की धमकी दी।

4. हर रविवार को कुरआनी दौर में और वाइज़ों में इद्दत के मसाइल बयान किए, क्रोनिकल में ये बात शाए करवाई कि इद्दत में फलां–फलां बातें राइज़ हो गई है, जो गैर–शरई है। Note - जब भी कोई गलत बात आई है तो मैंने Defence किया है। सही जवाब दिया है। कभी

5. अभी–अभी जब चंद बहनों ने घर–घर जाकर इद्दत की मुखालिफत की और बहकाने की कोशिश की तो परचे से, किताब से, बातचीत से हर मुमकिन मैने आवाज़ उठाई। अब मुझे लिखा जा रहा है कि खामोश क्यूँ हूँ ? जो बिल्कुल गलत है। बार–बार इद्दत की सही हकीकत में बताता रहा हूँ, फिर ये कहना कि "सही हकीकत बताओ" बिल्कुल हकीकत से दूर बात है।

6. हां, मैने इद्दत के मुत्तालिक कुरआन शरीफ और हदीसे नबवी में जो अहकाम आये हैं उनकी ही पाबन्दी करने की ताकीद की और कर रहा हूँ, और करता रहूँगा, इन्शाअल्लाहो तआला। बन्दाए हकीर बहम्दो लिल्लाह हर मुमकिन कोशिश से इस फर्ज़ को अदा करने में तैयार रहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करें।

7. शरीयत के अहकाम की पाबन्दी की ताकीद करना डॉ. साहिबान व सुधारवादियों को पसन्द नहीं, वो तो शरीयत में अपनी मनमानी करना चाहते हैं, जिसका में कट्टर मुखालिफ हूँ। इसीलिए जमाअत ने मेरी किताबों का बायकाट किया। क्रोनिकल में मैने इश्तिहार के लिए अपनी किताबों की फेहरिस्त भेजी तो जनाब असगर अली ने छापने से इन्कार कर दिया। अब कहा जा रहा है कि 'ये करो वो करो', नज़रे इनायत करो।' ऐसा लिखने का क्या मतलब? ये तो तहसीले हासिल है, जानबूझ के अन्जान बनना अच्छा नहीं। इद्दत के सब सही अहकाम को जो रसूले करीम (स.अ.व.) ने बताया उनमें से सिर्फ शादी न करने की बात को ही मानना और दूसरे अहकाम को नहीं मानना यानि अपनी मनपसंद बातों को मानना और जो पसंद नहीं हो उसे नहीं मानना कौनसी मुसलमानी है। अल्लाह सुब्हानहू ने काफिरों के मुत्तलिक कहा है कि– "वो बअज़ हुक्म को मानते हैं, और बअज़ को नहीं मानते।"

8. चार महीना और दस रात सोगवारी की इद्दत गमगीनी हालत में पालना अल्लाह तआला और अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) का फरमान है, उसकी खुल्लम–खुल्ला मुखालिफत करके सिर्फ चालीसं दिन बल्कि तीन दिन की बात करना खुदा व रसूल (स.अ.व.) के साथ बगावत है। और अभी–अभी इस बगावत का उठना असगर अली इंजिनियर की सड़ी–बासी कढ़ी का उबाल है, इसको फटकारना अहले ईमान का फर्ज़ है।

जमाअत के नेताओं का कहना है कि आप हर बात में असगर अली इंजिनियर का नाम क्यूँ घसीटते हो ? तो इसका जवाब ये है कि क्रोनिकल में शरीयत के अहकाम की खिल्ली उडाई जाती है। इद्दत के बाबत में बच्चियों की खतना के बारे में

बाबत में, और भी दीन के मामले में, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? क्या क्रोनिकल में शाय होने वाले मज़ामीन और सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा, मुम्बई में किसकी मनमर्जी चलती ?

इस्लाही तजवीज़

सुधारवादी हज़रात को सुधार करना है तो ऐसा ज़रूर करें–

1. अक्सर लोग नमाज़ नहीं पढ़ते तो आम तब्लीगी मुसलमानों की तरह घर–घर जाकर ताकीद करें, और खुद भी पाबन्दी से पढ़े। नमाज़ के वक्त जमाअत खाने में खाना खिलाया जाता है जो नमाज पढ़े इतने वक्त तक के लिए बन्द कर देना चाहिए, ताकि लोग नमाज पढकर या नमाज पढने से पहले खाना खाये।

2. दाढ़ी, पगड़ी, रिदा, टोपी, कौमी लिबास शरीयत की अच्छी तहज़ीब है, उसकी मुखालिफत, सुधार करना नहीं।

3. नमाज़ के लिए लायक, फाज़िल (ब–शरई) इमाम और वाअज़ के लिए काबिल शख्स को तैयार करें। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि काम चलाने के लिए सब चलता है।

4. किसी भी अज़ीज़ की मौत पर सिर्फ तीन दिन के सोगवारी की रुखसत है, इस शरई हुक्म को छोड़ कर दस दिन का, चालीस दिन का, छः माह का, सालभर का सोग मनाना और इस मुद्दत में कुरबानी नहीं करना, ईद के रोज़ ताज़ियती बैठक करके अज़ादारी करके उनके गम को ताज़ा करना बिल्कुल गलत है, इसे बन्द करें। इन दिनों में फातिहा ख्वानी करना अच्छी रस्म है। ~~मरहूम~~ मरहूम को याद करना चाहिए।

5. शादी में नाच–राग और शराब की पार्टी इन्तिहाई शर्मनाक बिदअत है। इसको सख्ती से बन्द करें। घर–घर में शराबखोरी बढ़ गई है। घर तबाह हो रहे हैं। अगर कुछ करना ही चाहते हो तो इसको सख्ती से रोको। तम्बाकू और सिगरेट से बचाव। ये तमाम बातें शरियत के बिलकुल खिलाफ हैं, हराम हैं।

6. मगनी के बाद साकर चखने की रस्म इसलिए है कि इससे सगाई हो गई, अब मगनी के मुद्दत बाद सगाई का खाना गलत है, फिजूलखर्ची है। दहलीज़ चढ़ने और मेहंदी की रस्म में बहुत ज़्यादा लोगों का खाना करना फिजूलखर्ची है। रसूले करीम (स.अ.व.) ने फरमाया है कि शादी में पहला खाना सुन्नत है, ज़रूर करो। दूसरा रुखसत है, चलेगा और तीसरा बिद्अत है, हरगिज़ मत करो, बंद करो। मेहंदी में

व बिद्अत है। डिनर और लन्च गैर बोहरों के लिए ज़रूरी हो तो करें वरना मौमिनीन के लिए लन्च व डिनर पार्टी करना गैर शरई और फिजूलखर्ची है, इस पर पाबन्दी लगानी चाहिये।

7. समूह लगन बहुत ही अच्छी रस्म है इसे चालू करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ताकि गरीब और कमज़ोर सब का भला हो और बहुत सी बिद्अतें अपने आप खत्म हो जाए।

8. हमारी बहन–बेटियाँ गैर कौम में जा रही है, तो औरतों की हमदर्द 'चालीसा वाली बहनें' क्यूँ खामोश है ?

9. जमाअत खाने में मर्दो व औरतों का खुले सिर, पालती मारकर जब्बारों की मानिंद खाना खाने बैठना हमारी तहज़ीब के बिल्कुल खिलाफ है। इसकी पाबन्दी करने के साथ खाने के पहले व बाद में हाथ धुलवाने और नमक का इंतज़ाम करो, इकराम (वेलकम) ज़रूरी है।

10. सुहासन (हुवाइन) का मतलब ये है कि आठवें महीने में हामिला औरत के सलामती की दुआ करने के लिए ऐसी बुज़र्ग मांओं (जो माहवारी से पाक हो चुकी हो) को सिर्फ एक ही थाल पर बुलाया जाए ताकि वे दुआ करे हामिला के लिए। आजकल ये आठ से बीस थाल तक किया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। फिजूलखर्ची है। सुहासन का मकसद ही खत्म हो गया।

11. मस्जिदों व मजलिसों में बहुत कम लोग हाज़िर रहते हैं इसलिए जमाअत के ओहदेदार और सुधारवादी के दावेदार खुद हाज़िर रहे और दूसरे आम पब्लिक को हाज़िर करने का इंतज़ाम करे।

12. कुरआन और इस्लाम की तालीम में हमारी ज़्यादातर औलाद ज़ीरो है। इसके लिए पुख्ता तालीमी इंतज़ामात बेहद ज़रूरी है।

अरे! कुछ करना ही है तो कुछ इस तरह की इस्लाही खिदमतें कीजिए। शरअे मुहम्मदी पर नापाक कदम रखने से गुरैज़ कीजिए, नाखुन बढ़ गये हो तो काटिये वरना नाहक खून होगा। रस्म रिवाज गलत तौर से बढ़ गये हो तो बंद कीजिए वरना बहुत नुकसान होगा। बन्दाए हकीर अहमद अली राज ने शुरू से आज तक शरई मामलात में और लायक खिदमत गुज़ारों को तैयार करने में हरचंद कोशिश की, मगर अफसोस कि जमाअत और नेताओं का

नसीहत

1. दीन मा जायज़ नथी ए दोस्तो हरगीज़ कयास,
जे कोई पेठा ये रस्ते ते थया आखिर निराश।

2. कोई कहे छे, छे रवा थोरू अगर पिवो शराब,
कोई कहे छे खुशदिली छे राग ना अन्दर शिंताब,
कोई कहे छे खूबसूरत बइरो नू जोवू सवाब,
कोई कहे छे खेलवु शतरंज नू हिकमत नू बाब,
जुमले बदफअली छे जायज़ आ रिवायत थी रवा,
छे दवा सब रोग नी नथी हमियत नी दवा। —शेख सादिक अली

3. कोई कहे छे, छे रवा थोडू अगर खाओ व्याज,
कोई कहे छे निकले बयरो घर थकी मूकी ने लाज,
मूकी इद्दत नी अदब निकले बराए कामकाज,
इंजिनियरो, कोंट्रेक्टरो और डाक्टरो, मुफ्ती छे आज,
हर कसो न कस करे छे दीन माही खोज—खाज।

4. आयो ज़मानो देख तू गलदा जे कहता वात ते,
बे बोल सीखे डॉक्टरी और इल्मे साइंस,
कोई जरा हिंडे ज़मीन ऊपर
नहीं आ वात कोना हात ते। —अहमद अली राज

दीन में कयास कर के खुदा और रसूल की मुखालफत करके और उसमें दखलअंदाज़ी करके सबसे पहले इबलीस जहन्नुमी मलऊन हुआ। अल्लाह सुब्हानहु हमको और तमाम मूमेनीन मूमेनात को इस किस्म की फितनत और बिद्अत से बचाए रखे।

आमीन या रब्बुल आलमीन